Tele: 25684645
Telefax: 011-25684946

Central Organisation, ECHS
ECHS Bhawan,
Near Gopinath Circle
Delhi Cantt- 110 010

B/49711-NSC/AG/ECHS/BSA dt 27 Oct 2026

IHQ of MoD (Air Force)
IHQ of MoD (Navy)
HQ South Comd (A/ECHS)
HQ East Comd (A/ECHS)
HQ West Comd (A/ECHS)
HQ Central Comd (A/ECHS)
HQ Northern Comd (A/ECHS)
HQ South West Comd (A/ECHS)
HQ ANC
HQ SFF & HQ Coast Guard

All Regional Centers

All Station HQs

USE OF BENEFICIARY SATYAPAN APPLICATION FOR AADHAAR BASED AUTHENTICATION IN ECHS

1. Please refer following :-

1.1 CO ECHS letter No B/49711-NSC/AG/ECHS/BSA dt 16 Apr 26.

1.2 Ministry of Defence (Department of Ex-Servicemen Welfare) Gazette Notification No 5270 dt 07 Oct 2026 (Copy att).

2. It is intimated that Beneficiary Satyapan Application (BSA), developed by NIC has been approved by UIDAI for undertaking Biometric Aadhar based validation of beneficiaries while availing facilities extended under various schemes of Govt of India. CO ECHS is in advance stages of integration of BSA with ECHS software application to undertake biometric validation of its beneficiaries while availing medical services.

3. Use of BSA will enable a robust validation of ECHS beneficiaries, using biometric credentials through a secure and dedicated medium while availing medical services. This exercise will also save wasteful expenditure by ensuring legitimate use of ECHS facilities.

4. It is pertinent to bring out that Aadhar based validation will be implemented Pan India in a phased manner after conducting adequate testing for each use case. Firm date of roll out will be intimated. However it is imperative to ensure adequate preparedness by our beneficiaries. An informative workflow of Beneficiary Satyapan Application (BSA) authentication is att at Appx.

5. It is requested that ECHS beneficiaries be informed about the mandatory requirement of Aadhaar enrollment and verification to available ECHS facilities as per the Gazette Notification mentioned at Para 1.2 above. All beneficiaries must be encouraged to update their biometrics with UIDAI for seamless utilization of Beneficiary Satyapan Application (BSA) for Aadhar based validation. Special drives may be organized by Stn HQs to assist this updation of biometrics through Authorised Aadhaar Centre, Post Office Aadhaar Kendra, Veteran Sahayta Kendra, Veteran outreach pgme, special camps and during veteran rallies etc.

6. This is for information and further necessary action please.

(Manish Kumar Yadav)
Col
Dir (S&A)
for MD ECHS

Encls. As above.

Copy to: -

DESW
AG's Branch

- for info please.

Tele: 25684645
Telefax: 011-25684946

Central Organisation, ECHS
ECHS Bhawan,
Near Gopinath Circle
Delhi Cantt- 110 010

B/49711-NSC/AG/ECHS/BSA 16 Apr 2026

IHQ of MoD (Air Force)
IHQ of MoD (Navy)
HQ South Comd (A/ECHS)
HQ East Comd (A/ECHS)
HQ West Comd (A/ECHS)
HQ Central Comd (A/ECHS)
HQ Northern Comd (A/ECHS)
HQ South West Comd (A/ECHS)
HQ ANC
HQ SFF & HQ Coast Guard

All Regional Centers

All Station HQs

USE OF BENEFICIARY SATYAPAN APPLICATION FOR AADHAAR BASED AUTHENTICATION IN ECHS

1. It is intimated that Beneficiary Satyapan Application (BSA), developed by NIC has been approved by UIDAI for undertaking Biometric Aadhar based validation of beneficiaries while availing facilities extended under various schemes of Govt of India. CO ECHS is in advance stages of integration of BSA with ECHS software application to undertake biometric validation of its beneficiaries while availing medical services.

2. Use of BSA will enable a robust validation of ECHS beneficiaries, using biometric credentials through a secure and dedicated medium while availing medical services. This exercise will also save wasteful expenditure by ensuring legitimate use of ECHS facilities.

3. It is pertinent to bring out that Aadhar based validation will be implemented Pan India in a phased manner after conducting adequate testing for each use case. Firm

date of roll out along with detailed instructions for each stakeholder will be issued subsequently, however it is imperative to ensure adequate preparedness by our beneficiaries.

4. It is requested that ECHS beneficiaries be informed about the forthcoming implementation of Aadhar based validation and be encouraged to update their biometrics with UIDAI. Further special drives may be organized by Stn HQs to assist this updation of biometrics through Veteran Sahayta Kendra, Veteran outreach pgme, special camps and during veteran rallies etc.

5. This is for information and further necessary action please.

(Anurag Bhardwaj)
Col
Dir (S&A)
for MD ECHS

Copy to: -

AG's Branch - for info please

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277059
CG-DL-E-12102026-277059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5270] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948
No. 5270] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5482(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की जटिलता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है:

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा गया है) के रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग कहा गया है) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त संगठन कहा गया है) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (इसके पश्चात उक्त स्कीम के रूप में संदर्भित) को प्रशासित कर रहा है।

और, उक्त स्कीम के अधीन और इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रितों या दोनों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थियों कहा गया है) को निम्नलिखित सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त लाभ कहा गया है) प्रदान की जाती हैं, अर्थात्: -

(i) ईसीएचएस सदस्यता प्रदान करना;

(ii) ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना;

(iii) सेवा अस्पतालों में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना;

(iv) ईसीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना; और

(v) लाभार्थियों से संबंधित दावों के प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न अन्य कार्य।

और उक्त स्कीम के लिए व्यय समेकित निधि से उपगत किया जाता है।

और उक्त संगठन का आशय है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति की शर्त के रूप में, लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के लिए, लाभार्थी को अधिप्रमाणन से गुजरने या आधार संख्या के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो, या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा हो।

अतः, भारत सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकी, लाभ और सेवाओं लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त संगठन ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, या रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा, जिसमें सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

परंतु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, जिसके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुति के समय वैध हैं, या, यदि उक्त संगठन द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ़्टवेयर, ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी को तैयार करने या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थात्:-

अठारह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालकों के लिए जिसे आधार नंबर आवंटित नहीं किया गया है:

(क) नामांकन केंद्र पर संचालक द्वारा लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की स्वीकृति, जिसमें नामांकन पहचान दस्तावेज (ईआईडी) शामिल हो; और

(ख) लाभार्थी के अठारह वर्ष से कम आयु का बालक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (अधिनियम 1969 का 18) के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि से निकाला गया है;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि के साथ संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट,

(IV) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसे भारतीय वीजा के साथ-साथ विदेशी पासपोर्ट या भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा के साथ-साथ वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ, या

(ग) लाभार्थी के माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करने के लिए, लाभार्थी की फोटो वाला निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात्:-

(i) राशन कार्ड;

(ii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vi) देखभाल और संरक्षण की अपेक्षा वाले बालक या विधि के साथ संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा, या

(viii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसका कोई विधिक अभिभावक है, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 (अधिनियम 1890 का 8), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

(अधिनियम 1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम 2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज जिसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग निर्दिष्ट करे।

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर संचालक द्वारा लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की स्वीकृति, जिसमें नामांकन पहचान दस्तावेज (ईआईडी) शामिल हो; और

(ख) लाभार्थी की फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता का फोटो पहचान पत्र:

(ii) राशन कार्ड;

(iii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vii) सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 [सा.का.नि. 591(अ)] के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस:

(x) देखभाल और संरक्षण की अपेक्षा वाले बालक या विधि के साथ संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड,

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा, या

(xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसका कोई विधिक अभिभावक है, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 (अधिनियम 1890 का 8), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (अधिनियम 1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम 2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज जिसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषयवस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचनाओं की जाँच करेगा, -

(क) नामांकन आईडी (ईआईडी) को मेरे आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करना कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के लिए, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों का सुगमतापूर्वक लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. यदि किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधियों (जैसे चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) में से किसी के माध्यम से किया जाता है और यह प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:

(क) यदि बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का कोई विशेष रीति सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य रीति, जहाँ भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के पश्चात, उक्त स्कीम के अधीन लाभ निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर दिए जा सकते हैं: -

(i) आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात, आधार संख्या धारक को उसकी आधार संख्या उत्पन्न होने पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात, आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) युक्त आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात;

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ (जिसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके एमआधार ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है), जिसकी प्रामाणिकता यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित की गई हो, जो संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया हो, जैसा कि यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार है।

4. उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए,-

(क) उक्त स्कीम के अधीन लाभ किसी बालक को नहीं दिया जाएगा-

(i) प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में; या

(ii) नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, यदि उसे आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है; और

(ख) उक्त स्कीम के अधीन लाभ ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में निर्दिष्ट रीति से उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां इसके संबंध में एक अभिलेख रखा जाएगा, जिसकी उक्त विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, संगठन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा (जो https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध है)।

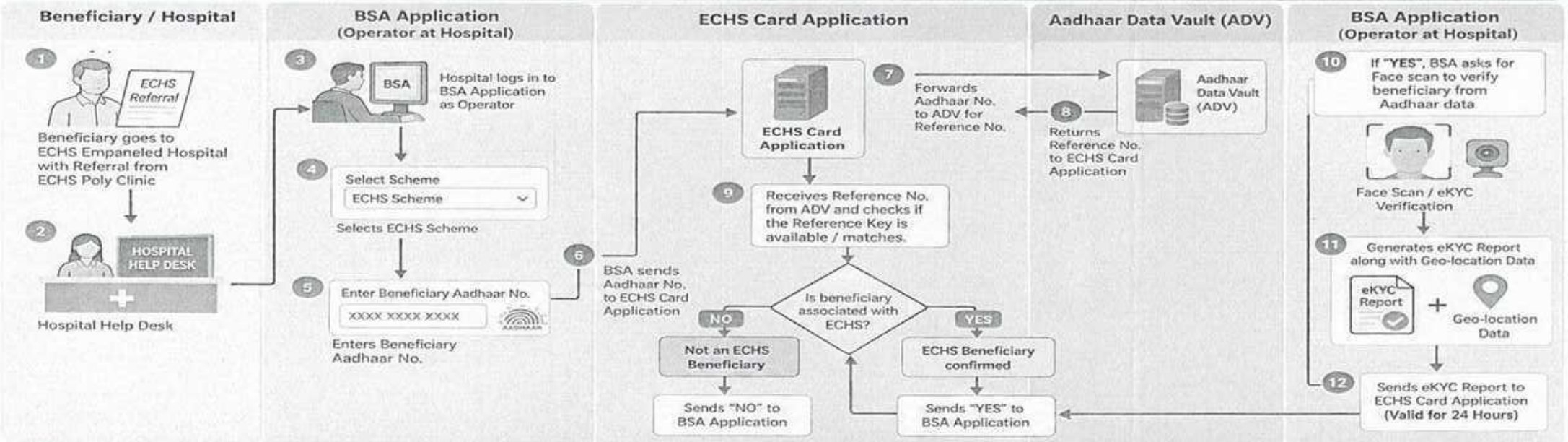
6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. संख्या 18(08)/2025/डब्ल्यूई/डी (रेस-1)]

प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त सचिव

e-Satyapan Application for ECHS : Workflow

Flow 1 : Beneficiary Satyapan (eKYC) Application Flow



Flow 2 : BPA Portal Flow – Claim ID Generation

